<u>राजस्थान सरकार</u>

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांक : न्याय/कोरोना/2020/ 22901 दिनांक 06.05.2020

:: आदेश ::

भीलवाडा जिले में नोवल कोरोना वॉयरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ–साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एव जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

जिला अफीम अधिकारी भीलवाडा ने पत्रांक दिनांक 05.05.2020 से कृषको से प्राप्त होने वाली अफीम के तौल करने का अति आवश्यक शासकीय कार्य सिंगोली श्याम तहसील माण्डलगढ में दिनांक 10 मई 2020 से किया जाना अंकित करते हुए जिले की 4 तहसीलों कोटडी, माण्डलगढ, जहाजपुर व बिजौलिया के 1160 अफीम कृषकों के उत्पाद का तौल माहेश्वरी धर्मशाला सिंगोली श्याम में (प्रतिदिन करीब 150 काश्तकारों की अफीम का तौल) दो शिफ्टों में किये जाने की अनुमति चाही गई हैं के क्रम में निम्न शर्तो के अध्यधीन, सिंगोली श्याम तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा अफीम तौल केन्द्र को संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. अफीम तुलाई केन्द्र प्रारम्भ करने से पूर्व सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईज किया जायेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए स्पर्श स्थलों को बार बार सेनेटाईज किया जायेगा।
2. समस्त काश्तकार स्वास्थ परीक्षण के पश्चात ही अपनी फसल अफीम तुलाई केन्द्र पर ले जा सकेंगे।
3. अफीम तुलाई केन्द्र पर प्रत्येक काश्तकार का फिटनेस प्रमाण पत्र देखकर ही प्रवेश करने दिया जायेगा तथा अफीम तुलाई केन्द्र पर भी नियुक्त मेडिकल टीम द्वारा काश्तकार का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।
4. दैनिक श्रमिक जिनकी नियुक्ति भीलवाडा जिले से की जायेगी संबंधित उपखण्ड अधिकारी ऐसे श्रमिकों के लिए पास जारी कर सकेंगे।
5. दैनिक श्रमिकों का उनके निवास स्थान से अफीम तुलाई केन्द्र पर जाने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। अफीम तुलाई केन्द्र पर भी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।
6. समस्त कार्यरत श्रमिक कार्य समाप्ति/संविदा समाप्ति तक अफीम तुलाई केन्द्र पर ही निवास करेंगे।
7. अफीम तुलाई केन्द्र पर समस्त व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टेन्स बनाए रखा जायेगा। समस्त काश्तकार/श्रमिक/कार्यरत कार्मिक/अधिकारीगण मास्क एवं दास्ताने पहनेंगे

तथा कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं "The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

8. उक्त स्वीकृति पूर्णतया अस्थाई होगी एंव केन्द्र/राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एंव शर्तो की अवहेलना अथवा अन्य कारणों से निरस्त की जा सकेगी ।
9. भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवॉयजरी एंव जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियो को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर कार्य स्थल से हटाया जाकर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिग करवाई जाकर प्रदत्त निर्देशो की पालना की जावे।
11. गुटखा तम्बाकू के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है। गुटखा तम्बाकू का विक्रय /सेवन/थूंकने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। इस संबध मे व्यावसायिक परिसर पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सूचना प्रदर्शित करनी होगी।
12. सभी कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मी को आरोग्य सेतु ऐंप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा।
13. कॉविड–19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबधित प्रॉटोकोल को फोलो करते हुए एनक्सर I – II मे दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायो का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ एवं "The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957 एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तो की पालना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट जिला भीलवाडा कराना सुनिश्चित करेगें। शर्तो की अवहेलना व उल्लघंन पाये जाने पर उक्त अनुमति निरस्त कराने हेतु अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करगें।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर

03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
07. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि अफीम तुलाई केन्द्र सिंगोली श्याम पर विभिन्न तहसीलों से जाने वाले काश्तकारों एवं श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अफीम तुलाई केन्द्र पर उपरोक्तानुसार अवधि के लिए स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल टीम की नियुक्ति करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाईजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के क्रम में संस्थान एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों की समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।
10. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट माण्डलगढ को भेजकर लेख हैं कि समय समय पर अफीम तुलाई केन्द्र का निरीक्षण करेंगे तथा उपरोक्तानुसार शर्तो की पालना करवाये जाना सुनिश्चित कराऐंगे।
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
13. जिला परिवहन अधिकारी को भेजकर लेख है कि कृषको के तौल केन्द्र पर आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध कराने के लिये जिला अफीम अधिकारी से समन्वय स्थापित करे।
14. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
15. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
16. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाडा
17. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा
18. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
19. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
20. जिला अफीम अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि भीलवाडा जिले से बाहर के दैनिक श्रमिकों के लिए अनुमति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करेंगे। अफीम तुलाई केन्द्र पर आने वाले अफीम काश्तकारों की सूची मय मोबाईल न0 एवं निवास स्थान के दैनिक श्रमिको की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा/संबंधित एसडीएम को उपलब्ध करायेंगे तथा अति0 पुलिस गार्ड हेतु पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा से सीधे ही सम्पर्क करेंगें एवं सेनेटाइजर हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क करे।

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा